

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0195 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 09/09/2024 19:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 03/09/2024 Date To (दिनांक तक): 07/09/2024
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:30 बजे Time To (समय तक): 11:00 बजे
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/09/2024 Time (समय): 14:00 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 09/09/2024 19:18:27 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 130 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): HALENA ROAD NADBAI, DUKAN AAROPI RAKESH GARG

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): PUSHPENDRA BAINIWAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): BHGVAN SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1991

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SAIDHLI BHUSAWAR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SAIDHLI BHUSAWAR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HARIRAM MEENA		पिता: MANGIRAM	1. BARAOLI RAN, NADBAI, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	RAKESH KUMAR GARG		पिता: PURAN MAL GARG	1. BARAOLI RAN, NADBAI, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,20,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,20,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर (राज.) महोदय, विषय:- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाने बाबत निवेदन है कि मैं पुष्पेन्द्र बैनीवाल पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी सैधली भुसावर मो. है मेरे खिलाफ पुलिस थाना भुसावर में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है जिसकी जाँच श्रीमान सीओ साहब धर्मेन्द्र शर्मा जी कर रहे हैं। इसमें सीओ साहब एफआर लगाने की एवज में अपने रीडर हरिराम मीणा जी और दलाल राकेश के मार्फत मेरे से 1,50,000 रूपये रिश्वत मांग रहे हैं मेरी राकेश कुमार प्राईवेट व्यक्ति से फोन पर व आमने सामने बात हुई जिसमें उसके द्वारा मेरे से 1,50,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई जिसके ऑडियो/विडियो उपलब्ध है। मे उपलब्ध करा दूंगा राकेश दलाल/रीडर हरिराम एक ही गाँव के रहने वाले हैं एवं नदबई में भी राकेश की दुकार रीडर हरिराम के मकान के पास है। मेरे से रिश्वत की मांग राकेश ने अपनी दुकान पर भी राकेश व आरोपी हरिराम मीणा दोनो आपस में सम्पर्क में है। रीडर हरिराम राकेश के मार्फत पर ही मांग कर रहा है मेरी सीओ और आरोपी हरिराम व दलाल से कोई पुरानी रंजिश नहीं है और न ही मेरे पर इन तीनों से कोई पुरानी रंजिश नहीं है और न ही मेरे पर इन तीनों से कोई पुराना लेन-देन नहीं है। और न ही कोई पैसा बकाया है। श्रीमान जी रिपोर्ट पेश है। इन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे प्रार्थी एसडी पुष्पेन्द्र बैनीवाल पुत्र भगवान सिंह जाति: जाट गाँव सैधली भुसावर भरतपुर मो. दिनांक 03.09.2024 एसडी सुरेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 04.09.24 एसडी केशव देव शर्मा दिनांक 06.09.24 एसडी रवि शर्मा दिनांक 06.09.24, कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 03.09.2024 को वक्त 10.30 ए.एम. पर जरिये टेलीफोन श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल से वार्ता होने पर उसने बताया कि मैं पुष्पेन्द्र बैनीवाल पुत्र भगवान सिंह निवासी सैधली भुसावर मो. है पुलिस थाना भुसावर में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है जिसकी जाँच श्रीमान सीओ साहब धर्मेन्द्र शर्मा जी कर रहे हैं। इसमें एफआर लगाने की एवज में रीडर हरिराम मीणा जी दलाल राकेश के मार्फत मेरे से 1,50,000 रूपये रिश्वत मांग रहे हैं मेरी राकेश कुमार प्राईवेट व्यक्ति से फोन पर व आमने सामने बात हुई जिसमें उसके द्वारा मेरे से 1,50,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई जिसके ऑडियो/विडियो उपलब्ध है। मे उपलब्ध करा दूंगा राकेश दलाल/रीडर हरिराम एक ही गाँव के रहने वाले हैं एवं नदबई में भी राकेश की दुकान रीडर हरिराम के मकान के पास है। मेरे से रिश्वत की मांग राकेश ने अपनी दुकान पर ही की है। राकेश व आरोपी हरिराम मीणा दोनो आपस में सम्पर्क में है। रीडर हरिराम दलाल राकेश के मार्फत रिश्वत की मांग कर रहा है मेरी सीओ और आरोपी हरिराम व दलाल से कोई पुरानी रंजिश नहीं है और न ही मेरे पर इन तीनों से कोई पुरानी रंजिश नहीं है और न ही मेरे पर इन तीनों से कोई पुराना लेन-देन नहीं है। और न ही कोई पैसा बकाया है। मैं इनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ प्रथम दृष्ट्या मामला रिश्वत मांग का पाया जाना पर विभागीय प्रक्रिया अनुसार रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। अतः रिश्वत मांग सत्यापन कराये जाने हेतु विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री ब्रह्मदेव.449 को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि वह परिवादी के बताये स्थान पर पहुंचकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर अवगत करावे एवं विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को बाद मांग सत्यापन वापस प्राप्त होने पर सुरक्षित अपने पास रखे। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक:- 04.09.2024/12.15 पीएम. पर मन पुलिस उप अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह उपस्थित सर्किट हाऊस भरतपुर आने पर श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 द्वारा परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल की लिखित रिपोर्ट तथा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझे सुपुर्द किये गये। जिस पर मैंने परिवादी पुष्पेन्द्र बैनीवाल की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजात, आदि का अवलोकन किया गया तथा कानि. ब्रह्मदेव ने अवगत कराया कि मुताबिक निर्देश कार्यालय एसीबी धौलपुर से रवाना होकर परिवादी के बताये स्थान नदबई पहुंचा जहां विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू किया जाकर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल को सुपुर्द किया जिसने बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर वापस मुझे पेश किया जिसको मैंने बन्द कर सुरक्षित रख लिया जिसे आज पेश कर रहा हूँ विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मेरे द्वारा सुरक्षित रखा गया है मेरे द्वारा इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल रिश्वत मांग सत्यापन रिश्वत मांगने की वार्ता रिकॉर्ड होना अवगत कराया था। आरोपी हरिराम मीणा रीडर वृत्त कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर व श्री राकेश कुमार दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) से हुई तो श्री हरिराम मीणा रीडर वृत्त कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर के समक्ष दलाल श्री राकेश कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) परिवादी से 1,50,000 रूपये मांगने एवं परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 1,20,000 रूपये लेने पर सहमत

होना बताया इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्त मांग सत्यापन वार्ता को सरसरी तौर से लैपटॉप कम्प्यूटर की मदद से चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनों मुताबिक वार्ता रिकार्ड होना पाई गई व वार्ता में परिवादी के कथनों की पुष्टि होना पाया गया जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की गई। इसके बाद समय 01.30 पी.एम पर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु सर्किट हाऊस भरतपुर उपस्थित होने हेतु अवगत कराया गया था लेकिन परिवादी ने बताया कि मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण आज आने में असमर्थ हूँ परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत जरिये टेलीफोन दी जाकर कल दिनांक 05.09.24 को सर्किट हाऊस भरतपुर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 5.09.2024/03.00 पी.एम.-पर वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्त मांग सत्यापन वार्ता को विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर के टेबिल स्पीकर से कनेक्ट किया जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्त मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल व गवाहान श्री श्याम सिंह कानि.599 व श्री शंकर लाल कानि.चालक 500 की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय हेतु व तीन डीवीडीयां क्रमशः- दो मुलजिम प्रति एवं एक आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व दो मुलजिम डीवीडीयां को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर मौमोरी कार्ड को मार्क ड व डीवीडी पर मार्क । अंकित किया रिकार्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनपील्ड फाईल पर रखा गया। परिवादी द्वारा मोबाईल कॉल रिकॉर्डिंग व वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की गई जिसकी वार्ता को परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल व गवाहान श्री श्याम सिंह कानि. 599 व श्री शंकर लाल कानि.चालक 500 की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की पैन ड्राईव न्यायालय हेतु व तीन डीवीडीयां क्रमशः- दो मुलजिम प्रति एवं एक आईओ प्रति तैयार की जाकर पैन ड्राईव व दो मुलजिम डीवीडीयां को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर पैन ड्राईव को मार्क पी व डीवीडी को उन पर मार्क ए-1 अंकित किया रिकार्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनपील्ड फाईल पर रखा गया परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजातों एवं रिश्त मांग सत्यापन तैयार फर्द ट्रांसक्रिप्ट से श्री हरिराम मीणा रीडर वृत्त कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर द्वारा श्री राकेश कुमार दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के मार्फत परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल के खिलाफ दर्ज मुकदमे मे एफ.आर लगाने की एवज में 1,50,000 रुपये की रिश्त मांग करना एवं परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 1,20,000 रुपये लेने के लिए सहमत होना धारा 7,7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018)व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दण्डनीय अपराध होने से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की गई। इकसे 06.00 पी.एम.- पर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल ने बताया कि इस समय रात्रि का वक्त हो चुका है और मेरे पास रिश्त राशि दी जाने हेतु रकम भी उपलब्ध नहीं है अतः मैं रिश्त राशि रकम लेकर कल 06.08.2024 को उपस्थित हो जाऊंगा इस पर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 06.09.2024 /12.30 पी.एम.-पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर के नाम तहरीर जारी कर जरिये विशेष वाहक श्री श्याम सिंह कानि. 599 को कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर भेजा गया एवं स्वतंत्र गवाह को हमराह लाने की हिदायत की गई इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल उपस्थित सर्किट हाऊस भरतपुर हुआ जिसने बताया कि मैंने रिश्त में दी जाने वाली राशि 24,000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा का इन्तजाम किया बाकी रकम मेरे पास उपलब्ध नहीं होने के कारण मैं डमी करेसी के पाँच-पाँच सौ के नोट कुल 192 नोट लेकर आया हूँ जो अभी मेरे पास है। परिवादी को हिदायत कर बिठाया गया। तत्पश्चात 01.00 पी.एम पर पूर्व से रवाना शुद्धा श्री श्याम सिंह कानि. 599 हमराह दो स्वतंत्र गवाह कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर से लाये । दोनो गवाहान से उनके नाम पते पूछे तो उन्होने क्रमशः अपने नाम श्री रवि शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 36 साल पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर निवासी बदन सिंह स्कूल के पास भरतपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर। मो.नं.- श्री केशव देव शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 29 साल पुलिस थाना अटलबन्द भरतपुर निवासी गली नं. 7 तिलक नगर भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर। मो.नं. जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी लिखित सहमति दी, तत्पश्चात दोनो गवाहो का उपस्थित परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल से आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहों को परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 03.09.2024 एवं अन्य कागजातों को दिखाया जाकर पढवाया गया तथा परिवादी से वार्ता कराई गई तथा परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर दोनो गवाहों के हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित करवाये गये। इसके बाद 03.15 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो स्वतंत्र

गवाहान श्री रवि शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री केशव देव शर्मा कनिष्ठ सहायक के सामने परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल ने आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि 500-500 रुपये के 48 (अठतालीस) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 24,000/- (चैबीस हजार) रुपये व कुल 192 डमी करेंसी 500-500 के नोट जिसमें प्रत्येक पर DUK616850 नम्बर व चिल्ड्रन मनोरंजन बैंक लिखा हुआ है अपने पास से निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिसमें से भारतीय चलन मुद्रा 500-500 के नोटों का विवरण निम्न प्रकार है:- क्रमसंख्यानोटों का विवरणनोटों के नम्बर 1 एकनोट 500 रुपये का 0 KM 171259 2 एकनोट 500 रुपये का 5 HC 730273 3 एकनोट 500 रुपये का 0 SQ 372269 4 एकनोट 500 रुपये का 7 SS 693998 5 एकनोट 500 रुपये का 2 WV 252492 6 एकनोट 500 रुपये का 1 VK 126262 7 एकनोट 500 रुपये का 3WD 460656 8 एकनोट 500 रुपये का 4KR 053635 9 एकनोट 500 रुपये का 1 VB 874814 10 एकनोट 500 रुपये का 2 WA 939360 11 एकनोट 500 रुपये का 4 CB 776014 12 एकनोट 500 रुपये का 9 GV 668074 13 एकनोट 500 रुपये का 8 FT 242100 14 एकनोट 500 रुपये का 6 RK 267232 15 एकनोट 500 रुपये का 6 AA 114776 16 एकनोट 500 रुपये का 9 BV 537658 17 एकनोट 500 रुपये का 3 GM 673270 18 एकनोट 500 रुपये का 8 LD 054212 19 एकनोट 500 रुपये का 6 MQ 478704 20 एकनोट 500 रुपये का 7 SC 963391 21 एकनोट 500 रुपये का 2 VN 348298 22 एकनोट 500 रुपये का 0 BP 344972 23 एकनोट 500 रुपये का 8 DD 662329 24 एकनोट 500 रुपये का 9 VH 775074 25 एकनोट 500 रुपये का 1 AC 995056 26 एकनोट 500 रुपये का 3 GK 911404 27 एकनोट 500 रुपये का 7 EG 669068 28 एकनोट 500 रुपये का 0 PR 106216 29 एकनोट 500 रुपये का 1 WQ 715944 30 एकनोट 500 रुपये का 3 BH 966374 31 एकनोट 500 रुपये का 5 AR 354435 32 एकनोट 500 रुपये का 1 FG 547435 33 एकनोट 500 रुपये का 6 SW 640121 34 एकनोट 500 रुपये का 9 TT 729250 35 एकनोट 500 रुपये का 3 RF 407400 36 एकनोट 500 रुपये का 4 DW 667862 37 एकनोट 500 रुपये का 6 CF 366870 38 एकनोट 500 रुपये का 6 DH 644883 39 एकनोट 500 रुपये का 5 AH 902459 40 एकनोट 500 रुपये का 7 BN 833310 41 एकनोट 500 रुपये का 9 TU 984625 42 एकनोट 500 रुपये का 6 MV 731725 43 एकनोट 500 रुपये का 8 UW 959259 44 एकनोट 500 रुपये का 7 KL 844642 45 एकनोट 500 रुपये का 1 BG 527636 46 एकनोट 500 रुपये का 6 RR 019907 47 एकनोट 500 रुपये का 8 AB 690648 48 एकनोट 500 रुपये का 2 FF 564604 उपरोक्त पेश शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रुपये के नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो स्वतंत्र गवाहान ने नोटों के नम्बरों का मिलान सही होना बताया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. नं.179 से ट्रेप बॉक्स में से सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाया जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त 24,000 रुपये (पाँच -पाँच सौ रुपये के अठतालीस नोट) एवं 192 डमी करेंसी के नोटों पर श्री मनोज कुमार कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर भली-भाँति लगवाया गया। परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रवि शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 24,000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के नोटों एवं डमी करेंसी के कुल 192 नोटों को श्री मनोज कुमार कानि. से सीधे ही परिवादी द्वारा पहने हुए पेन्ट के दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट आरोपीगण को निकालकर देवे तथा आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर कहाँ रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुक़रर इशारा करे। इसके बाद गवाह श्री रवि शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी से गिलास (डिस्पोजल गिलास) गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को कमरे के बाथरूम में डलवाकर बहाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री मनोज कुमार कानि. के पास कमरे की अलमारी में लॉक बन्द कर सुरक्षित रखवाया गया। श्री मनोज कुमार कानि. के दोनों हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। गिलास (डिस्पोजल गिलास) को नष्ट किया गया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड़ कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी

को सरकारी डिजिटल वॉइस रिकार्डर को बक्त रिश्चत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलाने एवं बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई कि रिश्चत लेनेदेन से पूर्व डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुरक्षित रखें। इसके बाद समय 05.15 पीएम: पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल को श्री ब्रह्मदेव कानि.449 के साथ परिवादी की निजी मोटर साईकिल से एवं श्री योगेश सिंह कानि. 88,श्याम सिंह कानि. 599, श्री शंकर लाल मीणा कानि. चालक 500 व स्तवंत्र गवाह श्री रवि शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को मय प्राईवेट गाडी के आगे आगे रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय स्वतंत्र गवाह श्री केशव देव शर्मा कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन मय श्री सरमन सिंह कानि. चालक सरकारी लेपटॉप,प्रिंटर की-बोर्ड, माउस एवं ट्रेप बॉक्स वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु नदबई रवाना हुआ। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि 179 को सर्किट हाऊस भरतपुर पर ही छोड़ा गया। समय 07-00 पीएमपर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान जासा मय स्वतंत्र गवाहान व टेप बॉक्स,फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्चत राशि 24,000 रूपये पाँच-पाँच सौ अडतालीस नोट भारतीय चलन मुद्रा व 192 डमी करेसी नोट पाँच-पाँच सौ के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय माईक्रो एस.डी कार्ड परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा सरकारी वाहनों व प्राईवेट वाहन के वापस सर्किट हाऊस आया हलात इस प्रकार रहे कि वास्ते टेप कार्यवाही सर्किट हाऊस भरतपुर से रवाना होकर डहरा मोड के पास पहुंचा जहां भारी बारिश होने के कारण परिवादी व श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 जो कि मोटर साईकिल से रवाना हुये थे ने बताया कि बारिश में रिश्चत राशि भीग जाने व भारी बारिश मोटर साईकिल चलाने में असमर्थता होने के कारण हम लुलहारा गाँव में बारिश से बचकर छडे हुये है इस पर मन् उप पुलिस अधीक्षक व अन्य टेप सदस्यो व स्वतंत्र गवाहो के परिवादी के पास पहुंचा तो उसने बताया कि इस समय रात्रि समय होने जा रहा है एवं आरोपी श्री राकेश कुमार दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) अपनी दुकान को बन्द करके चला जाता है रिश्चत राशि का लेन-देन आरोपी राकेश कुमार दलाल की दुकान पर ही लेना निश्चित हुआ है। अतः अब रिश्चत राशि का लेन-देन होने की सम्भावना नहीं है ऐसी सूरत में मौके पर जाने पर टेप कार्यवाही की भनक भी लग सकती है। अतः टेप की कार्यवाही कल प्रात दिनांक 07.09.2024किया जाना उचित रहेगा परिवादी द्वारा बताये गये तथ्य उचित प्रतीत होते है अतः परिवादी की जेब से रिश्चत राशि स्वतंत्र गवाह श्री रवि शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निकलवाई जाकर सुरक्षित लेकर वापस सर्किट हाऊस भरतपुर आया फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्चत राशि व डमी करेसी को सर्किट हाऊस भरतपुर में बुक किये गये कमरा नं. 109 की अलमारी में रखवाई जाकर लॉक बन्द किया गया। टेप बॉक्स व अन्य उपकरणो को भी सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी को मौके से ही मुनासिब हिदायत कर रूखस्त किया गया था व प्रातः बताये हुये स्थान पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया,स्वतंत्र गवाहान को भी कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखस्त किया गया व प्रातः सर्किट हाऊस भरतपुर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 07.09.2024/08.15 ए.एम पर परिवारदी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल ने जरिये टेलीफोन सम्पर्क से किया गया तो उसने बताया कि आरोपी श्री राकेश कुमार दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) नदबई में अपनी दुकान पर उपस्थित मिलेगा व आरोपी श्री हरिराम मीणा रीडर वृत्त कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर भी दलाल राकेश कुमार की दुकान पर उपस्थित मिल सकता है मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे मे एफ.आर लगाने की एवज में रिश्चत राशि प्राप्त कर लेगा मैं आपको नदबई में ही उपस्थित मिलुंगा। इसके बाद समय 08.20 एएम: पर स्वतंत्र गवाहान को जरिये टेलीफोन से अवगत कराया गया कि टेप कार्यवाही के लिए उपस्थित हीवे। इसे बाद 09.15 एएम:- पर स्वतंत्र गवाहान श्री रवि शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री केशव देव शर्मा कनिष्ठ सहायक सर्किट हाऊस भरतपुर में उपस्थित आये उक्त स्वतंत्र गवाहान को सर्किट हाऊस भरतपुर में बैठाया गया। इसके बाद समय 09-20 एएम:-पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सर्किट हाऊस भरतपुर के कमरा नं. 109 की अलमारी में सुरक्षित रखी अलमारी ताला बन्द शुदा जिसमें फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्चत राशि 24,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पाँच-पाँच सौ के कुल 48 नोट एवं 192 नोट पाँच-पाँच सौ के डमी करेसी कुल मूल्य 1,20,000 रूपये रिश्चती राशि रखी हुई है बन्द ताला अलमारी का ताला खुलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री रवि शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा अलमारी में से निकलवाई जाकर हिदायत की गई कि वह उक्त रिश्चती राशि को सुरक्षित अपने पास रखे एवं पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल नदबई में मिलने पर उक्त रिश्चती राशि आरोपीगण को दिये जाने हेतु परिवादी को सुपुर्द करे। विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय माईक्रो एस.डी कार्ड एवं सरकारी लेपटॉप कम्प्यूटर,की-बोर्ड मय प्रिन्टर,माउस व टेप बॉक्स सरकारी वाहन में रखवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान व समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन,परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा जो कि पूर्व से कमरे की अलमारी में ताला बन्द रखा हुआ है को अलमारी में ही सुरक्षित छोड़ा गया। तत्पश्चात् श्री श्याम सिंह कानि. 599,श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 एवं श्री योगेश सिंह कानि. 88,श्री शंकर लाल मीणा कानि. चालक 500 व स्तवंत्र गवाह श्री केशव देव शर्मा,कनिष्ठ सहायक को मय प्राईवेट गाडी के आगे आगे रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय स्वतंत्र गवाह श्री रवि शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय सरकारी वाहन

मय श्री सरमन सिंह कानि. चालक सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर की-बोर्ड, माउस एवं ट्रेप बॉक्स वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु नदबई रवाना हुआ। श्री मनोज कुमार कानि. 179 को बाद हिदायत सर्किट हाउस भरतपुर में ही छोड़ा गया इसके बाद समय 10.30 ए.एम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान जासा मय स्वतंत्र गवाहान व टेप बॉक्स, फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 24,000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा के 48 नोट व 192 नोट पाँच-पाँच सौ के डमी करेसी कुल मूल्य 1,20,000 रुपये रिश्वती राशि व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय माईक्रो एस.डी कार्ड परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा सरकारी वाहनों व प्राईवेट वाहन नदबई खांगरी रोड के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल पूर्व से पाबन्दशुदा उपस्थित मिला एवं वाहनों को एकान्त में साईड में खड़ा करवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी लिवाई तो उनके पास मोबाईल फोन, परिचय-पत्र के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई इसके बाद स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 24,000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा के 48 नोट व 192 नोट पाँच-पाँच सौ के डमी करेसी कुल मूल्य 1,20,000 रुपये रिश्वती राशि को निकाल कर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर से मिलान करवाया गया जो सही होना पाया जाने पर उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री रवि शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा परिवादी की पहने हुई पेन्ट की दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रखवाया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा अभिवादन के समय भी आरोपीगण से हाथ नहीं मिलाये हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपीगण रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। इसके बाद परिवादी व समस्त टेप व स्वतंत्र गवाहान के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा परिवादी को विभागीय डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चलाने एवं बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई परिवादी को आरोपीगण को रिश्वत राशि देने हेतु पूर्व से नियत स्थान पर रवाना किया गया मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान जासा मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी की लोकेशन के आस-पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडे होकर परिवादी के नियत इशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात् समय 11.00 ए.एम. पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिंह को परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के आरोपी राकेश कुमार गर्ग की दुकान हलैना रोड नदबई के पास पहुंचा जहां पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी पुष्पेन्द्र बैनीवाल उपस्थित मिले जिनको पूर्व से फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रकम 24,000 रुपये, पांच-पांच सौ रुपये भारतीय चलन मुद्रा के कुल 48 नोट व 192 नोट डमी करेसी पाँच-पाँच सौ के नोट कुल 1,20,000 रुपये को स्वतंत्र गवाह श्री रवि शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पास रखे हुये को परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल से उक्त रकम परिवादी को सुपुर्द कराई गई व रिश्वत राशि आरोपी श्री राकेश कुमार गर्ग को देने हेतु मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाते हुये रवाना किया व हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेरकर अथवा मोबाईल से कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में सूचित करे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान जासा मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के आसपास रहकर निगरानी जारी रखी गई कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल ने अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा प्राप्त हुआ कि आरोपी राकेश कुमार गर्ग द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर ली गई है इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान जासा मय स्वतंत्र गवाहान श्री रवि शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री केशव देव शर्मा कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर के आरोपी के पास पहुंचा जहां परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल ने अपने पास में खडे एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही राकेश कुमार गर्ग प्राईवेट व्यक्ति जिसने हरिराम मीणा हैड कानि. रीडर वृत कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर के लिए इन्होने मुझसे रिश्वत के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रकम 24,000 रुपये पांच-पांच सौ रुपये भारतीय चलन मुद्रा के कुल 48 नोट व 192 नोट डमी करेसी पाँच-पाँच सौ के नोट कुल मूल्य 1,20,000 रुपये लेकर अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी दुकान की टेबिल की दराज में रख लिये हैं। इसके पश्चात् राकेश कुमार ने अपने मोबाईल से हरिराम मीणा रीडर को नॉर्मल वॉईस कॉल किया तो उन्होने फोन उठाकर कुछ बात कर काट दिया इसके पश्चात् हरिराम मीणा रीडर का वॉट्सअप कॉल राकेश कुमार गर्ग के मोबाईल पर आया जिस पर इनके आपस में रिश्वती राशि प्राप्ती संबंधी बात हुई। मैने राकेश कुमार को कहा कि मेरी बात हरिराम मीणा रीडर साहब से करा दो तो राकेश कुमार गर्ग ने अपने मोबाईल से वॉट्सअप कॉल कर हरिराम मीणा रीडर साहब से मेरी बात कराई थी मैने रीडर साहब को बताया था कि मैने 1,20,000 रुपये राकेश कुमार गर्ग को दे दिये है अब मेरे घर पुलिस की गाडी नहीं जानी चाहिये और मुझे पुलिस परेशान नहीं करे तो उन्होने कहा था कि अब तुम्हे कोई परेशान नहीं करेगा। हरिराम मीणा हैड कानि. रीडर साहब ने रिश्वत राशि प्राप्ती हेतु सहमति जाहिर की थी इस पर पास खडे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राकेश कुमार गर्ग पुत्र श्री पूरण मल गर्ग जाति

महाजन उम्र 36 साल निवासी बरौली रान पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल कृषि उपज मंडी के पीछे खेडली जिला अलवर होना बताया व अपने हाथों को रगड़ने की कोशिश करने लगा इस पर मेरे निर्देशानुसार राकेश कुमार का दाया हाथ स्वतंत्र गवाह रवि शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व बायां हाथ श्री योगेश कुमार कानि. 88 ने कलाईयों के उपर से पकड़ लिये। तत्पश्चात राकेश कुमार गर्ग से आरोपी श्री हरिराम मीणा हैड कानि. रीडर वृत कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर के बारे में पूछा तो बताया कि मेरी रिश्तत राशि प्राप्त करने के पश्चात् हरिराम मीणा हैड कानि. से मेरे मोबाईल फोन नं.

से उनके फोन नं. पर वाट्सअप कॉल से बातचीत हुई थी मैंने पुष्पेन्द्र बैनीवाल द्वारा 1,20,000 रूपये दिये जाने की बात बताई थी जिस पर उन्होने रकम रखने की बात कई थी मैंने बात करने के पश्चात् फोन से पुष्पेन्द्र बैनीवाल की भी बात हुई थी। रीडर साहब ने स्वयं को ड्यूटी पर भुसावर जाना बताया था आरोपी राकेश कुमार द्वारा रिश्तती राशि प्राप्ती के संबंध में दिनांक 07.09.24 समय 11.06 ए.एम पर आरोपी के मोबाईल नं. से आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. के मोबाईल नं. पर फोन का स्पीकर चालू कर वॉइस कॉल से वार्ता कराई गई जो 09 सैकण्ड की वार्ता है उक्त वार्ता में आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. उक्त रिश्तत राशि आरोपी राकेश कुमार अपने पास रख लेने बाबत कहा उक्त कॉल को विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया दिनांक 07-09-24 समय 11.08 ए.एम पर आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. को उसके मोबाईल नं. पर पुनः कॉल कराया गया तो आरोपी हरिराम मीणा द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया समय 11.17 ए.एम पर आरोपी श्री हरिराम मीणा के मोबाईल नंम्बर से आरोपी राकेश कुमार के मोबाईल नम्बर पर वॉट्सअप कॉल आया जिस पर दोनो के मध्य हुई वार्ता अवधि 52 सैकण्ड को विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं में आरोपी हरिराम मीणा रिश्तत राशि के प्राप्ती के संबंध में सहमति एवं परिवादी पुष्पेन्द्र बैनीवाल के कार्य को कराये जाने एवं पुलिस द्वारा तंग परेशान नहीं किये जाने की बात कही गई है जिसे आरोपी हरिराम मीणा का उक्त रिश्तत राशि प्राप्ती में पूर्ण संलिप्तता जाहिर होती है उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की जावेगी। श्री हरिराम मीणा हैड कानि. रीडर वृत कार्यालय भुसावर को डिटैल करने हेतु मुताबिक निर्देशानुसार उच्च अधिकारीगण एसीबी कार्यालय भरतपुर से टीम भुसावर खाना कराई गई तत्पश्चात आरोपी राकेश कुमार गर्ग से परिवादी पुष्पेन्द्र बैनीवाल से रिश्तत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछताछ की तो आरोपी राकेश कुमार गर्ग ने बताया कि मैं व हरिराम मीणा हैड कानि. एक ही गाँव के रहने वाले है मेरे पास कुछ दिन पूर्व श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल अपने धारा 3 एस सी एस टी एक्ट में दर्ज मुकदमें में एफ.आर लगवाने की बात करने मेरे पास आया था इनका मुकदमा भुसावर थाने में दर्ज है जिसकी जांच सी.ओ. भुसावर श्री धमेन्द्र शर्मा जी कर रहे है श्री हरिराम मीणा हैड कानि. उनके रीडर लगे हुये है मैंने बातचीत के दौरान हरिराम मीणा जी को भी बुला लिया था मैंने बातचीत की थी तो हरिराम मीणा जी ने मुझे दुकान से बाहर बुलाकर 1,20,000 रूपये रिश्तत राशि की बात करने की कही थी जिस पर मैंने पुष्पेन्द्र बैनीवाल से हरिराम मीणा रीडर साहब के कहे अनुसार 1,20,000 रूपये में मुकदमें में एफ.आर लगाने की बात कही थी मेरी बात पुष्पेन्द्र से टेलीफोन पर भी हुई थी जिसमें मैंने 1,50,000 रूपये की मांग की थी यह रकम हरिराम मीणा रीडर साहब से पूछ कर ही बताई थी मैं पुष्पेन्द्र बैनीवाल से रिश्तत राशि प्राप्त करने एवं मुकदमें एफ.आर लगवाने की बातें श्री हरिराम मीणा रीडर साहब से पूछकर ही बताई थी। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से डिस्पोजल गिलास निकलवाकर राकेश कुमार गर्ग दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) की दुकान में रखी बोतल में से साफ पानी मांगवाकर डिस्पोजल गिलास को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर गिलास में साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह केशव देव कनिष्ठ सहायक से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर डिस्पोजल गिलास के घोल में श्री राकेश कुमार गर्ग दलाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीषियों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर सील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। पुनः नया डिस्पोजल गिलास लिया जाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री राकेश कुमार गर्ग दलाल के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो कांच की साफ शीषियों में भरवाकर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर सील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। राकेश कुमार गर्ग से प्राप्त की गई रिश्तत राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैंने उक्त रिश्तत राशि प्राप्त दुकान की टेबिल की दरार में रख ली थी व उक्त दरार से रिश्तत राशि गवाह श्री केशव देव कनिष्ठ सहायक से निकलवाई जाकर गिनवाई तो रिश्तती राशि 500-500 रूपये के 48 (अठतालीस) भारतीय चलन मुद्रा के नोट 24,000 (चौबीस हजार) रूपये व कुल 192 डमी करेंसी 500-500 के नोट जिसमें प्रत्येक पर DUK 616850 नम्बर व चिल्ड्रन मनोरंजन बैंक लिखा हुआ है अपने पास से निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिसमें से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के नोटो का विवरण निम्न प्रकार है:- क्रमसंख्यानोटो का विवरणनोटो के नम्बर 1 एकनोट 500 रूपये का 0 KM 171259 2 एकनोट 500 रूपये का 5 HC 730273 3 एकनोट 500 रूपये का 0 SQ 372269 4 एकनोट 500 रूपये का 7 SS 693998 5 एकनोट 500 रूपये

का 2 WV 252492 6 एकनोट 500 रूपये का 1 VK 126262 7 एकनोट 500 रूपये का 3WD 460656 8 एकनोट 500 रूपये का 4KR 053635 9 एकनोट 500 रूपये का 1 VB 874814 10 एकनोट 500 रूपये का 2 WA 939360 11 एकनोट 500 रूपये का 4 CB 776014 12 एकनोट 500 रूपये का 9 GV 668074 13 एकनोट 500 रूपये का 8 FT 242100 14 एकनोट 500 रूपये का 6 RK 267232 15 एकनोट 500 रूपये का 6 AA 114776 16 एकनोट 500 रूपये का 9 BV 537658 17 एकनोट 500 रूपये का 3 GM 673270 18 एकनोट 500 रूपये का 8 LD 054212 19 एकनोट 500 रूपये का 6 MQ 478704 20 एकनोट 500 रूपये का 7 SC 963391 21 एकनोट 500 रूपये का 2 VN 348298 22 एकनोट 500 रूपये का 0 BP 344972 23 एकनोट 500 रूपये का 8 DD 662329 24 एकनोट 500 रूपये का 9 VH 775074 25 एकनोट 500 रूपये का 1 AC 995056 26 एकनोट 500 रूपये का 3 GK 911404 27 एकनोट 500 रूपये का 7 EG 669068 28 एकनोट 500 रूपये का 0 PR 106216 29 एकनोट 500 रूपये का 1 WQ 715944 30 एकनोट 500 रूपये का 3 BH 966374 31 एकनोट 500 रूपये का 5 AR 354435 32 एकनोट 500 रूपये का 1 FG 547435 33 एकनोट 500 रूपये का 6 SW 640121 34 एकनोट 500 रूपये का 9 TT 729250 35 एकनोट 500 रूपये का 3 RF 407400 36 एकनोट 500 रूपये का 4 DW 667862 37 एकनोट 500 रूपये का 6 CF 366870 38 एकनोट 500 रूपये का 6 DH 644883 39 एकनोट 500 रूपये का 5 AH 902459 40 एकनोट 500 रूपये का 7 BN 833310 41 एकनोट 500 रूपये का 9 TU 984625 42 एकनोट 500 रूपये का 6 MV 731725 43 एकनोट 500 रूपये का 8 UW 959259 44 एकनोट 500 रूपये का 7 KL 844642 45 एकनोट 500 रूपये का 1 BG 527636 46 एकनोट 500 रूपये का 6 RR 019907 47 एकनोट 500 रूपये का 8 AB 690648 48 एकनोट 500 रूपये का 2 FF 564604

उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से स्वतन्त्र गवाहान से करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये। सभी नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मोहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी राकेश कुमार की दुकान में रखी टेबिल की दराज में रिश्वत राशि रखी गई थी रिश्वत राशि बरामदगी स्थान टेबिल की दराज पर एक गीला सफेद रूई का फोहा लिया जाकर उक्त स्थान से सफेद रूई के फोहा को रंगडकर टेप बॉक्स में एक नया डिस्पोजल गिलास लिया जाकर उसमें साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त पानी का रंग रंगहीन रहा उक्त घोल में सफेद रूई के फोहा को धोया गया तो पानी का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की शीशियों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क D-1 व D-2 अंकित कर सीलड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के फोहा को सुखाया जाकर एक कपडे की थैली में रखकर सीलड मोहर कर मार्क R अंकित किया जिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। टेप कार्यवाही में काम लिये गये समस्त डिस्पोजल गिलासों को मौके पर ही नष्ट किया गया। परिवादी से प्राप्त शुदा डिजिटल वॉड्स रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। आरोपी श्री हरिराम मीणा हैड कानि. रीडर वृत कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर को श्री हरभान सिंह कानि. 99 एसीबी चैकी भरतपुर द्वारा मुताबिक निर्देश डिटेल किया जाकर मनु उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश किया जिससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री हरिराम मीणा पुत्र श्री मांगीराम जाति मीणा उम्र 50 निवासी बरौलीरान पुलिस थाना नदबई हाल गणेश हॉस्पिटल के पीछे हलैना रोड नदबई हाल पदस्थापन हैड कानि.नं. 1060 रीडर वृत कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर का होना बताया आरोपी श्री हरिराम मीणा हैड कानि. से रिश्वती राशि मांग एवं प्राप्ती के संबंध में पूछा गया तो बताया कि मैं पिछले 05 साल से वृत अधिकारी वृत भुसावर के कार्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हूं श्री राकेश कुमार व मैं एक ही गाँव के रहने वाले हैं नदबई गणेश हॉस्पिटल के पीछे मेरा मकान है राकेश की दुकान हलैना रोड पर है राकेश को मैं बचपन से जानता हूँ दिनांक 03.09.24 को मैं नगर कोर्ट में ऐवीडेन्स देने गया था वहां से करीब 03.00 पी.एम पर अपने घर नदबई आ गया था। करीब 06.00 पी.एम पर मुझे राकेश कुमार ने टेलीफोन किया था कि मेरा कोई मिलने वाला है जो आपसे से मिलना चाहता है दुकान पर आ जाओ इस पर मैं राकेश की दुकान पर आ गया था जहां राकेश कुमार का एक व्यक्ति जिसका नाम श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल बैठे हुये मिले थे श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल के खिलाफ भुसावर थाने पर मुकदमा नं. 392/2024 धारा 418,420,323, 341,354,504,506,120 बी,34आईपीसी व धारा 3--1(ड) एस सी एस टी एक्ट में दर्ज था जिसकी तफ्तीश श्री धर्मेन्द्र शर्मा सी.ओ. साहब भुसावर कर रहे थे। उक्त पत्रावली सी.ओ. साहब के निर्देशन में मेरे द्वारा लेखबद्ध की जा रही थी मेरे से श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल ने मुकदमें मदद करने की कही थी जिस पर मैंने कहा था कि आपकी मदद हम वैसे ही कर रहे हैं आप सी.ओ. साहब से बात करने के लिए किसी पण्डित से बात कर लो जब मैं बाहर गया था तो राकेश कुमार भी बाहर आया था उसके बाद मैं अपने घर चला गया राकेश कुमार व श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल को मैं दुकान पर ही छोड़ गया था। मैंने दुकान पर जब श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल से बात हो रही थी तो मैंने राकेश कुमार इस मामले में कोई भी रूपये लेने के लिए मना नहीं किया था आज दिनांक 07.09.24 को समय करीब 10.39 ए.एम पर श्री राकेश कुमार का फोन मेरे मोबाईल पर आया था उसके बाद मैंने राकेश कुमार वॉट्सअप कॉल किया था जिसमें राकेश कुमार रिश्वत राशि प्राप्त हो जाने के बारे में बताया था जिस पर मैंने उसको रखने के लिए बोल दिया था उसके बाद मेरे फोन पर दुबारा राकेश कुमार के फोन से मेरे मोबाईल फोन पर

वाट्सअप कॉल आया था जिससे मेरी बात पुष्पेन्द्र बैनीवाल से हुई थी जिसमें पुलिस द्वारा परेशान नही करने आदि की बात हुई थी जिसके बाद समय करीब 11.06 ए.एम पर मेरे मोबाईल फोन पर राकेश कुमार का सामान्य वाईस कॉल आया था जिस पर राकेश कुमार ने पुष्पेन्द्र बैनीवाल से रकम प्राप्ती के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि उस रकम को अभी तुम अपने पास रख लो इसके बाद राकेश कुमार का मेरे पास दुबारा कॉल आया तो मैंने कॉल रिसीव नही किया व कुछ समय बाद मैंने राकेश कुमार के मोबाईल फोन पर मेरे मोबाईल फोन से वाट्सअप कॉल किया था जिसमें पुष्पेन्द्र बैनीवाल के खिलाफ दर्ज मुकदमें में एफ.आर के संबंध में बात हुई थी मैं आज वैर एडीजे न्यायालय में साक्ष्य हेतु गया था वहां से वापस सी.ओ. कार्यालय पहुंचा था जहां मुझे एसीबी टीम मिली जो मुझे हमराह लेकर नदबई आ गई आरोपी राकेश कुमार व हरिराम मीणा हैड कानि. के मोबाईल को जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी राकेश कुमार व हरिराम मीणा हैड कानि. को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो दोनो आरोपी चुप हो गये व कोई जवाब नही दे रहे है। आरोपी श्री राकेश कुमार गर्ग पुत्र श्री पूरण मल गर्ग जाति महाजन उम्र 36 साल निवासी बरौलीरान पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल कृषि उपज मंडी के पीछे खेडली जिला अलवर व श्री हरिराम मीणा हैड कानि. रीडर वृत्त कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल के विरुद्ध दर्ज मुकदमें में मदद करने व एफ.आर लगाने की एवज में रिश्वत राशि 1,50,000 रुपये रिश्वत की मांग करना जिसका मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 1,20,000 रुपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 07.09.2024 को रिश्वत राशि 500-500 रुपये के 48(अठतालीस) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 24,000(चैबीस हजार) रुपये व कुल 192 डमी कोरसी 500-500 के नोट जिसमें प्रत्येक पर DUK616850 नम्बर व चिल्ड्रन मनोरंजन बैंक लिखा हुआ रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः आरोपीगण राकेश कुमार दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) व हरिराम मीणा हैड कानि. 1060 को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। फर्द हस्त कायदा मुर्तिव की जाकर सम्बंधितों को पढकर सुनायी सुन समझ एवं सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इस समस्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिव की जाकर नमूना सील फर्द पर अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय-4.30 पी.एम.पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उपरोक्त गवाहान के समक्ष आरोपी राकेश कुमार दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल से रिश्वत राशि की मांग एवं प्राप्ती के दौरान आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. रीडर वृत्त कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर से वाट्सअप एवं सामान्य वाईस कॉल वार्ता हेतु कार्य मे लिये गये आरोपी राकेश कुमार के मोबाईल फोन का आरोपी से पासवर्ड पूछा गया तो उसने लॉक पासवर्ड 4849 होना बताया आरोपी से फोन का लॉक खुलवाया जाकर वाट्सअप कॉल लॉग का अवलोकन किया गया तो आरोपी राकेश कुमार के मोबाईल नं.

पर वाट्सअप चालू हालात में जिसमें आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. का मोबाईल नं.

Hari Raam Meena G Rpके नाम से सेव किया हुआ है जिसमें मुताबिक वाट्सअप कॉल लॉग आज दिनांक 07.09.2024 को समय 10.39 ए.एम पर एक मिनट की वार्ता इनकमिंग की कॉल समय 10.42 ए.एम पर 59 सैकण्ड की आउट गोईंग कॉल व समय 11.17 ए.एम पर 52 सैकण्ड की इनकमिंग कॉल दिनांक 04.09.2024 को समय 12.02 पी.एम पर इनकमिंग तीन मिस्टकॉल समय 12.16 पी.एम पर 45 सैकण्ड का आउट गोईंग कॉल समय 01.56 पी.एम पर 01 मिनट का इनकमिंग कॉल पाया गया एवं सामान्य वाईस कॉल लॉग का अवलोकन किया गया तो आरोपी राकेश कुमार द्वारा अपने मोबाईल नं. हरिराम मीणा हैड कानि. रीडर वृत्त कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर के मोबाईल नं. पर दिनांक 07-09-2024 को समय 01.01 पी.एम पर एवं समय 11.08 ए.एम पर डायल मिस्टकॉल व समय 11.06 ए.एम पर 09 सैकण्ड, 10.39 ए.एम पर 08 सैकण्ड आउट गोईंग दिनांक 3.09.24 को 06.15 पी.एम पर 20 सैकण्ड समय 09.35 ए.एम पर 26 सैकण्ड आउट गोईंग कॉल व दिनांक 02.09.2024 को समय 09.07 ए.एम पर 09 सैकण्ड व 08.44 ए.एम पर 33 सैकण्ड दिनांक 01.09.2024 को समय 06.45 पी.एम पर 55 सैकण्ड व दिनांक 25.08.2024 को समय 10.03 ए.एम पर 45 सैकण्ड के आउट गोईंग कॉल विवरण प्राप्त हुआ उक्त सभी कॉल लॉग्स का स्क्रीन शॉट लिया जाकर आरोपी राकेश कुमार के मोबाईल से ई-मेल आई.डी acb.op.dlp@gmail.com पर प्रेषित किये गये जिनका प्रिन्ट आउट पृथक निकाला जाकर शामिल पत्रावली किया जावेगा मुताबिक कॉल लॉग्स आरोपी राकेश कुमार व आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. रिश्वत मांग एवं रिश्वत प्राप्ती के दौरान एक-दूसरे सम्पर्क मे होना पाया गया। विवरण मोबाईल:- विवो कम्पनी जिसमें जियो कम्पनी की सिम जिसका नम्बर है मोबाईल स्क्रीन लॉक का पासवर्ड 4849 है जिसका आई एम ई आई नं. 8647180749544936 व 864718074954928 प्रकरण में प्रयुक्त मोबाईल को जप्त किया जाकर मोबाईल को फ्लाइट मोड पर किया जाकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्का B दिया गया। फर्द हस्त कायदा मुर्तिव की जाकर सम्बंधितों को पढकर सुनायी सुन समझ एवं सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय-05.00 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उपरोक्त गवाहन के समक्ष आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. 1060 रीडर वृत्त कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल से रिश्वत राशि की मांग एवं प्राप्ती के दौरान आरोपी राकेश कुमार से वाट्सअप एवं सामान्य वाईस कॉल वार्ता हेतु कार्य मे

लिये गये आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि.1060 रीडर के मोबाईल फोन का आरोपी से पासवर्ड पूछा गया तो उसने लॉक पासवर्ड 123456 होना बताया आरोपी से फोन का लॉक खुलवाया जाकर वॉट्सअप कॉल लॉग का अवलोकन किया गया तो आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. के मोबाईल नं. पर वॉट्सअप चालू हालात में जिसमें आरोपी राकेश कुमार का मोबाईल नं. RAKESH KUMAR BRN के नाम से सेव किया हुआ है जिसमें मुताबिक वॉट्सअप कॉल लॉग आज दिनांक 07.09.2024 को समय 10.39 ए.एम पर एक मिनट 02 सैकण्ड की वार्ता आउट गोइंग कॉल समय 10.42 ए.एम पर 59 सैकण्ड की इनकमिंग कॉल व समय 11.17 ए.एम पर 52 सैकण्ड की आउट गोइंग कॉल दिनांक 04-09-2024 को समय 12.02 पी.एम पर आउट गोइंग तीन मिस्टकॉल समय 12.16 पी.एम पर 45 सैकण्ड का इनकमिंग कॉल समय 01.56 पी.एम पर 01 मिनट का आउट गोइंग कॉल पाया गया एवं सामान्य वॉइस कॉल लॉग का अवलोकन किया गया तो आरोपी हरिराम मीणा द्वारा अपने मोबाईल नं. राकेश कुमार के मोबाईल नं.

पर दिनांक 07.09.2024 को समय 01.01 पी.एम पर एवं समय 11.08 ए.एम पर डायल मिस्टकॉल व समय 11.06 ए.एम पर 09 सैकण्ड 10.39 ए.एम पर 08 सैकण्ड इनकमिंग दिनांक 03.09.2024 को 06.15 पी.एम पर 20 सैकण्ड समय 09.35 ए.एम पर 26 सैकण्ड इनकमिंग कॉल व दिनांक 02.09.2024 को समय 09.07 ए.एम पर 09 सैकण्ड व 08.44 ए.एम पर 33 सैकण्ड दिनांक 01.09.2024 को समय 06.45 पी.एम पर 55 सैकण्ड व दिनांक 25.08.2024 को समय 10.03 ए.एम पर 45 सैकण्ड के इनकमिंग कॉल विवरण प्राप्त हुआ उक्त सभी कॉल लॉग्स का स्क्रीन शॉट लिया जाकर आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. के मोबाईल से ई-मेल आई.डी acb.op.dlp@gmail.com पर प्रेषित किये गये जिनका प्रिन्ट आउट पृथक निकाला जाकर शामिल पत्रावली किया जावेगा मुताबिक कॉल लॉग्स आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि व आरोपी राकेश कुमार रिश्वत मांग एवं रिश्वत प्राप्ति के दौरान एक-दूसरे सम्पर्क में होना पाया गया। आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. के कॉल लॉग्स सामान्य वॉइस कॉल में आज दिनांक 07.09.2024 को समय 09.00 ए.एम पर सी.ओ. भुसावर श्री धर्मेन्द्र शर्मा के मोबाईल नं. से आरोपी के हरिराम मीणा हैड कानि. के मोबाईल पर समय 09.00 ए.एम 45 सैकण्ड की इनकमिंग कॉल वार्ता होना पाया गया एवं वॉट्सअप कॉल लॉग्स में आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. द्वारा अपने मोबाईल फोन से समय 12.26 पी.एम पर 02.01 सैकण्ड व समय 12.34 पी.एम पर 01.02 सैकण्ड आउट गोइंग कॉल श्री धर्मेन्द्र शर्मा सी.ओ. भुसावर को किये जाना पाया गया जिसके बारे में आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. से पूछताछ की गई तो राजकार्य से वार्ता होना बताया कॉल लॉग्स का स्क्रीन शॉट लिया जाकर ई-मेल से प्राप्त कर प्रिन्ट आउट लिया जाकर शामिल पत्रावली किया जावेगा। वॉट्सअप एवं अन्य चैटिंग में आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. व राकेश कुमार का श्री धर्मेन्द्र शर्मा सी.ओ. भुसावर से उक्त प्रकरण से संबंधित कोई वार्ता होना नहीं पाया गया। विवरण मोबाईल:- विवो कम्पनी जिसमें जियो कम्पनी की सिम जिसका नम्बर है मोबाईल स्क्रीन लॉक का पासवर्ड 123456 है जिसका आई एम ई आई नं. 867261069163350/00 व 867261069163343/00 प्रकरण में प्रयुक्त मोबाईल को जप्त किया जाकर मोबाईल को फ्लाइंट मोड पर किया जाकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्का B-2 दिया गया। फर्द हस्व कायदा मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों को पढकर सुनायी सुन समझ एवं सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय-05.15 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री राकेश कुमार गर्ग पुत्र श्री पूरण मल गर्ग जाति महाजन उम्र 36 साल निवासी बरौली रान पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल कृषि उपज मंडी के पीछे खेडली जिला अलवर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल के खिलाफ पुलिस थाना भुसावार में दर्ज मुकदमे में मदद करने एवं एफ.आर लगवाने की एवज में 1,50,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है दौरान रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में आरोपी राकेश कुमार द्वारा उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 07.09.2024 को रिश्वती राशि 500-500 रुपये 48(अठतालीस) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 24,000 (चौबीस हजार) रुपये व कुल 192 डमी कशेरी 500-500 के नोट जिसमें प्रत्येक पर DUK616850 नम्बर व चिल्ड्रन मनोरंजन बैंक लिखा हुआ रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी दुकान में रखी टेबिल की दराज में रखना जहां से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7,7 ए पीसी अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का पाये जाने पर आरोपी को उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री केशव देव शर्मा कनिष्ठ सहायक से लिवायी गई तो पहने हुए कपडों के अलावा एक मोबाईल फोन विवो कम्पनी जिसमें जियो कम्पनी की सिम जिसका नम्बर है मोबाईल स्क्रीन लॉक का पासवर्ड 4849 है जिसका आई एम ई आई नं. 864718074954936 व 864718074954928 चालू हालात में मिला जिसे बतौर बजह सबूत प्रकरण हाजा में जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनके भाई मुकेश कुमार गर्ग को मो. नं.

पर दी गई। फर्द गिरफ्तारी हस्व कायदा पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों को पढकर सुनायी गई सुन समझ सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय-05.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री हरिराम मीणा पुत्र श्री मांगीराम जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी बरौली रान पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल गणेश हॉस्पिटल के पास नदबई जिला भरतपुर हाल हैड कानि. 1060

रीडर वृत कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल के खिलाफ पुलिस थाना भुसावार में दर्ज मुकदमे में मदद करने एवं एफ.आर लगवाने की एवज में 1,50,000 रुपये की रिश्त मांग करना एवं रिश्त मांग सत्यापन के अनुसरण में आज दिनांक 07.09.2024 को आरोपी राकेश कुमार द्वारा उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 07.09.2024 को रिश्त राशि 500-500 रुपये के 48 (अठतालीस) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 24,000(चौबीस हजार) रुपये व कुल 192 डमी करेंसी 500-500 के नोट जिसमें प्रत्येक पर DUK 616850 नम्बर व चिल्ड्रन मनोरंजन बैंक लिखा हुआ रिश्त राशि प्राप्त कर अपनी दुकान में रखी टेबिल की दराज में रखना जहां से रिश्त राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7,7 ए पीसी अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का पाये जाने पर आरोपी को उक्त को जर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री केशव देव शर्मा कनिष्ठ सहायक से लिवायी गई तो पहने हुए कपड़ों के अलावा एक मोबाईल फोन विवो कम्पनी जिसमें जियो कम्पनी की सिम जिसका नम्बर नम्बर है मोबाईल स्क्रीन लॉक का पासवर्ड 123456 है जिसका आई एम आई नं. 867261069163350/00 व 867261069163343/00 चालू हालात में मिला जिसे बतौर बजह सबूत प्रकरण हाजा में जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनके साले श्री पदम सिंह को मो. नं. पर दी गई। फर्द गिरफ्तारी हस्व कायदा पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों को पढकर सूत्रायी गई सुन समझ सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय-06.00 पीएम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष दुकान आरोपी राकेश गर्ग हलैना रोड नदबई में मन् उप अधीक्षक पुलिस ने घटना स्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निषादेही पर गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्षा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय-06.20 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने बाद सम्पन कार्यवाही के परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल को हिदायत दी कि आप कल दिनांक 08.09.2024 को सर्किट हाउस भरतपुर में 09.30 ए.एम पर उपस्थित होवे बाद हिदायत परिवादी को कार्यवाही से रूखस्त किया गया। तत्पश्चात् समय-06.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहान मय श्री श्याम सिंह कानि. 599, श्री शंकर लाल मीणा कानि. चालक 500 मय प्राईवेट वाहन से लैपटॉप कम्प्यूटर, प्रिन्टर, बाद टेप कार्यवाही एसीबी चैकी भरतपुर के लिए आगे-आगे रवाना किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री हरिराम मीणा हैड कानि. 1060 रीडर वृत कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर व श्री राकेश कुमार दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) मय श्री योगेश कुमार कानि. 88, श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 मय राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन मय चालक जप्तशुदा रिश्त राशि, धोवन की शील्ड शीशियां शील्ड शुदा रूई का फोहा, शील्ड शुदा मोबाईल, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, टेप बॉक्स मुताबिक फर्दात के बाद कार्यवाही एसीबी चैकी भरतपुर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय-07.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान जासा का रवाना शुदा मय जप्तशुदा रिश्त राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड शुदा रूई का फोहा, शील्ड शुदा मोबाईल, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, टेप बॉक्स मुताबिक फर्दात लैपटॉप कम्प्यूटर, प्रिन्टर, सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन के एसीबी चैकी भरतपुर पहुंचा। इसके बाद समय-07.50 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री श्याम सिंह कानि. 599, श्री योगेश कुमार 888, श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को अलग-अलग तहरीर दी जाकर हिदायत दी कि आरोपीगण का राजकीय आर.बी.एम चिकित्सालय भरतपुर में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण आरोपीगणो पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर में बन्द हवालात कराकर सर्किट हाउस भरतपुर पहुंचे बाद हिदायत देकर उनको सरकारी वाहन मय चालक के रवाना किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय जासा मय जप्तशुदा रिश्त राशि, धोवन की शील्ड शीशियां शील्ड शुदा रूई का फोहा, शील्ड शुदा मोबाईल, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, टेप बॉक्स मुताबिक फर्दात लैपटॉप कम्प्यूटर, प्रिन्टर, प्राईवेट वाहन के एसीबी चैकी भरतपुर से रवाना होकर सर्किट हाउस भरतपुर पहुंचा। इसके बाद समय-08.15 पीएम- पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 08.09.2024 को 09.30 एएम पर सर्किट हाउस भरतपुर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखस्त किया गया। शील्ड शुदा आर्टिकल्स टेप बॉक्स, लैपटॉप कम्प्यूटर, प्रिन्टर, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, अन्य अनुसंधान सामग्री इत्यादि को सर्किट हाउस भरतपुर में आवंटित कराये हुये कमरा 109 की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् समय 09.15 पीएम पर श्री श्याम सिंह कानि. 599, श्री योगेश कुमार कानि. 88, श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 मय सरकारी वाहन मय चालक के आरोपीगण श्री हरिराम मीणा हैड कानि. 1060 रीडर वृत कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर व श्री राकेश कुमार दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण आरोपीगण को पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर में बन्द हवालात करवा कर सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित आये। दिनांक 08.09.2024 समय 10.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल व स्वतंत्र गवाहान श्री रवि शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री केशव देव शर्मा कनिष्ठ सहायक उपस्थित सर्किट हाउस भरतपुर आये जिन्हे सर्किट हाउस भरतपुर में बिठाया गया। इसके बाद समय-11.00 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट

किया जाकर विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर में वक्त रिश्तत लेन-देन रिकार्ड वार्ता एवं वक्त रिश्तत लेन-देन आरोपी राकेश कुमार के मोबाईल नम्बर से आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. के मोबाईल नम्बर पर वॉट्सअप व सामान्य वॉइस कॉल वार्ता हुई थी जिसकी रिकॉर्डिंग विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में की जाकर को विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर के टेबिल स्पीकर से कनेक्ट किया जाकर वक्त रिश्तत लेन-देन वार्ता को परिवारी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल व गवाहान श्री रवि शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री केशव देव शर्मा कनिष्ठ सहायक की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवारी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय हेतु व तीन डीवीडीयां क्रमशः- दो मुलजिम प्रति एवं एक आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व दो मुलजिम डीवीडीयां को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर मैमोरी कार्ड को मार्क M-1 व डीवीडी पर मार्क C अंकित किया रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई इसके बाद समय-11.55 ए.एम पर आरोपीगण हरिराम मीणा हैड कानि. 1060 रीडर वृत कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर व राकेश कुमार दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को पुलिस थाना मथुरा रोड भरतपुर में बन्द हवालात से लेने हेतु जासा मय सरकारी वाहन के रवाना किया गया जो उक्त आरोपीगण को लेकर आये श्री श्याम सिंह कानि. 599 श्री मनोज कुमार कानि 0 179, श्री शंकर लाल कानि. चालक 500 की निगरानी में सर्किट हाउस भरतपुर में बिठाया गया। तत्पश्चात् समय-12.00 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहन के समक्ष परिवारी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल के खिलाफ भुसावर थाने पर मुकदमा नं. 392/2024 धारा 418,420,323,341,354,504,506,120 बी 34 आईपीसी व धारा 3-1(ड) एस सी एस टी एक्ट में दर्ज था की अनुसंधान पत्रावली एसीबी टीम भरतपुर के द्वारा आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. 1060 वृत कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर को मुताबिक मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार डिटैर करते समय वृत कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर से कल दिनांक 07.09.2024 को मौका घटनास्थल आरोपी राकेश कुमार की दुकान हलैना रोड नदबई पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया था जिसका अवलोकन किया गया तो पत्रावली पेज 01 लगायत 120 है प्रथम पृष्ठ पर फाईल कवर जिस पर मु.न. 392/2024PS भुसावर अंकित है अंतिम पृष्ठ पर बयान गवाह 183 बीएनएसएस श्रीमति अंजू के बयान लगा हुआ है पत्रावली की प्रकरण हाजा में बतौर बजह सबूत आवश्यकता होने पर पत्रावली पेण्डिंग अनुसंधान होने पर पत्रावली की छायाप्रति करवाई जाकर श्री धर्मेन्द्र शर्मा वृत्ताधिकारी वृत भुसावर जिला भरतपुर से प्रमाणित करवाई जाकर प्रमाणित छायाप्रति को कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जे एसीबी ली गई पत्रावली के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर असल पत्रावली को परिवारी का वैध कार्य निष्पक्ष करवाने की हिदायत कर श्री धर्मेन्द्र शर्मा वृत्ताधिकारी वृत भुसावर जिला भरतपुर को सुपुर्द की गई। फर्द जप्ती रिकॉर्ड पत्रावली मुकदमा नं. 392/2024 पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर की हस्व कायदा पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित को पढकर सुनायी गई, जिन्होंने पढ, सुन, समझ व सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय-12.15 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस स्वतंत्र गवाहान व परिवारी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल के समक्ष उक्त टेम्प कार्यवाही में आरोपी श्री हरिराम मीणा पुत्र श्री मांगीराम जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी बरौली रान पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल गणेश हॉस्पिटल के पास नदबई जिला भरतपुर हाल हैड कानि. 1060 रीडर वृत कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर व अन्य की आवाज की पहचान हेतु आई ओ सीडी में रिकॉर्ड रिश्तत मांग सत्यापन वार्ता, वक्त रिश्तत लेन-देन वार्ता व फोन कॉल्स की वार्ता को लैपटॉप कम्प्यूटर से कनेक्ट कर चलाया जाकर श्री धर्मेन्द्र शर्मा वृत्ताधिकारी भुसावर जिला भरतपुर को सुनवाई जाकर पहचान करवाई गई तो श्री धर्मेन्द्र शर्मा सी.ओ. भुसावर ने उक्त वार्ता में से एक आवाज को पहचान कर आरोपी हरिराम मीणा हैड कानि. 1060 रीडर सी.ओ. कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर की होना बताया व अन्य आवाजो को पहचानने से मना किया। फर्द आवाज पहचान हस्व कायदा मुर्तिब कर सम्बन्धितों को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय-01.30 एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील 35 को परिवारी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री रवि शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवारी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। सम्पूर्ण टेम्प कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री राकेश कुमार गर्ग पुत्र श्री पूरण मल गर्ग जाति महाजन उम्र 36 साल निवासी बरौलीरान पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल कृषि उपज मंडी के पीछे खेडली जिला अलवर व श्री हरिराम मीणा हैड कानि. 1060 रीडर वृत कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर द्वारा परिवारी श्री पुष्पेन्द्र बैनीवाल के विरुद्ध दर्ज मुकदमें में मदद करने व एफ.आर लगाने की एवज में रिश्तत राशि 1,50,000 रुपये रिश्तत की मांग करना जिसका मांग सत्यापन के दौरान परिवारी द्वारा निवेदन करने पर 1,20,000 रुपये रिश्तत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 07.09.2024 को रिश्तती राशि 500-500 रुपये के 48 (अडतालीस) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 24,000 (चौबीस हजार) रुपये व कुल 192 डमी करेंसी 500-500 के नोट जिसमें प्रत्येक पर DUK616850 नम्बर व चिल्ड्रन

मनोरंजन बैंक लिखा हुआ रिश्त राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7,7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित है। (सुरेन्द्र सिंह) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर..... कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1. श्री हरिराम मीणा पुत्र श्री मांगीराम जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी बरौली रान पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल गणेश हॉस्पिटल के पास नदबई जिला भरतपुर हाल हैड कानि. 1060 रीडर वृत्त कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर एवं 2. श्री राकेश कुमार गर्ग पुत्र श्री पूरण मल गर्ग जाति महाजन उम्र 36 साल निवासी बरौली रान पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल कृषि उपज मंडी के पीछे खेडली जिला अलवर दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 138 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज., जयपुर क्रमांक 1053-56 दिनांक 09.09.2024 प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2 पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस- द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज., जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): AMIT SINGH Rank अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)


R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

[Empty box for complainant signature]

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan, IN
Date: 09/02/2024 11:06:06



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :यदि ज्ञात / देखा गया)

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Buld (बनावट)	Height(cms.) (ऊँचाई(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/08/1973				
2	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/लीप)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूँदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)